[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 04/2023–एकीकृत कर

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. (अ)– केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 14 के उपनियम (2) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 14 की उपधारा (2) और धारा 14क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रधान आयुक्त, केंद्रीय कर, बेंगलुरू पश्चिम और उसके अधीनस्थ सभी अधिकारियों को, भारत में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाने वाली गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति का उपबंध करने या उपबंध किए जाने के लिए सहमति प्रदान करने के मामले में, रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने के लिए सशक्त अधिकारियों के रूप में अधिसूचित करती है ।

स्पष्टीकरण–इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "ऑनलाइन धनीय गेम खेलना" का वही अर्थ होगा, जो उसका केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 2 के खंड (80ख) में है ।

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. सीबीआईसी-20016/29/2023-जीएसटी]

(राघवेन्द्र पाल सिंह)
निदेशक